पत्र संख्या–आई0टी0–Network UPS/AMC / 2020-21 / 708 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (आई0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

दि0- 12-11-2020

महोदय,

यू0पी0डेस्को द्वारा वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न लोकेशन पर नेटवर्किंग को सुचारू रूप से संचालित कराये जाने हेतु वर्ष 2017 में **Online UPS(NPS)** स्थापित कराये गये थे। जिसकी वारन्टी अवधि दिनांक 31.08.2020 को समाप्त हो गयी है। फील्ड कार्यालयों से प्रायः प्राप्त सूचनाओं से यह संज्ञान में आया है कि **Online UPS** में बैकअप की समस्या के कारण नेटवर्किंग/सर्वर से कार्य बाधित हो रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फील्ड स्तर के कार्यालयों में स्थित **Online UPS(NPS)** के अनुरक्षण का कार्य जोनल स्तर पर करवायें जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव उपरोक्त निर्णय के क्रम में सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय GeM Portal से कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या—24/2020/279/18–2–2020–97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 19.06.2020 के अनुसार जोन स्तर पर कार्यालयों में स्थापित **Online UPS(NPS)** के अनुरक्षण का कार्य जोनल स्तर पर सम्पादित करवाने का कष्ट करें जिससे कि विभागीय कार्यों का निस्तारण त्वरित गति से करने में बाधा उत्पन्न न हो। इस कार्य को कराने में निहित व्यय की धनराशि की मांग आवश्यकतानुसार/ नियमानुसार एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ से सुसंगत मद में की जा सकती है।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि फील्ड कार्यालयों की मांग के अनुसार आवश्यक/नियमानुसार बजट आवंटन करने का कष्ट करें।
2. संयुक्त निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. डिप्टी कमिश्नर(प्रभारी नजारत), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।